झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांकः– 19/12/18

संचिका संख्या–04/आ0–01–1024/2018 5050/ उपायुक्त चाईबासा के पंत्राक 851 दिनांक 22.05.2017 एवं विभिन्न स्तरो से प्राप्त प्रतिवेदन द्वारा श्री सुनील कुमार ,तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चाईबासा के द्वारा कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चाईबासा के पद पर पदस्थापन के दौरान चाईबासा प्रमण्डलान्तर्गत लघु ग्रामीण जलापूर्त्ति योजना के निर्माण एवं अनुश्रवण में पदीय दायित्वों के निवर्हन में गंभीर लापरवाही बरतने के कारण अधिकांश योजनाएँ अधूरी / बंद है एवं निम्न गुणवत्ता के निर्माण होने के कारण समय से पूर्व ही योजनाएँ क्षतिग्रस्त हो जाने आदि मामले विभाग के संज्ञान में आये। तदोपरान्त विभाग द्वारा उक्त मामले की समीक्षा की गयी जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध उक्त वर्णित आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गये।

2. उक्त प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गये आरोपो के विरूद्ध विभागीय पंत्राक 3360 दिनांक 08.08.18 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार द्वारा उनके पंत्राक 1444 दिनांक 16.08.18 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। उक्त प्राप्त स्पष्टीकरण सहित पूरे मामले की सम्यक् समीक्षा राज्य सरकार द्वारा की गयी जिसमें श्री कुमार के स्पष्टीकरण में वर्णित तथ्य स्वीकारयोग्य नहीं पाये गये एवं श्री कुमार के विरूद्ध पदीय दायित्वों के निवर्हन तथा योजनाओ के अनुश्रवण में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप योजना के असफल रहने का आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाया गया है। तत्पश्चात श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाये गये आरोपो हेतु प्रपत्र–क गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

3. उक्त वर्णित राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2016 के नियम– 17 के तहत् श्री सुनील कुमार ,तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चाईबासा सम्प्रति कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, पाकुड़ के विरूद्ध प्रपत्र "क" गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है।

4. विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु श्री कामशेवर प्रसाद, विभागीय जाँच पदाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखण्ड, राँची को जाँच संचालन पदाधिकारी तथा विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्री राकेश चन्द्र, अवर सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखण्ड, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. जाँच संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही संपन्न कर अधिकतम 105 दिनों (तीन माह पन्द्रह दिनों) में जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायेंगें।

6. आरोपित पदाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे 15 (पन्द्रह) दिनों में अपना लिखित बचाव– बयान जाँच संचालन पदाधिकारी को समर्पित करेंगे तथा उनके निर्देश पर उनके द्वारा निर्धारित तिथि को उनके समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा विभागीय कार्यवाही के संचालन में हर अपेक्षित सहयोग करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(अभय नन्दन अम्बिष्ठ)

सरकार के संयुक्त सचिव

18/12/18

P.T.O.

ज्ञापांक– 5051 राँची,दिनांक– 19/12/18

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 5051 राँची,दिनांक– 19/12/18

प्रतिलिपि– मा0 मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ मा0 विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 5051 राँची,दिनांक– 19/12/18

प्रतिलिपि– सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ अभियन्ता प्रमुख कोषांग/सभी संयुक्त सचिव / सभी मुख्य अभियन्ता/ सभी अधीक्षण अभियन्ता (यॉंत्रिक सहित)/सभी अवर सचिव/सभी कार्यपालक अभियन्ता (यॉंत्रिक सहित)/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01 एवं 04 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 5051 राँची,दिनांक– 19/12/18

प्रतिलिपि– श्री कामशेवर प्रसाद, विभागीय जाँच पदाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखण्ड, राँची विभागीय जाँच पदाधिकारी सह संचालन पदाधिकारी / श्री राकेश चन्द्र, अवर सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखण्ड, राँची सह उपस्थापन पदाधिकारी, को आरोप पत्र (साक्ष्य सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोपरि।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 5051 राँची,दिनांक– 19/12/18

प्रतिलिपि– श्री सुनील कुमार ,तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चाईबासा सम्प्रति कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, पाकुड़ को आरोप पत्र (साक्ष्य सहित) की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशित किया जाता है कि विभागीय जाँच पदाधिकारी के निर्देश पर सुनवाई के हर तिथि को उनके समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्पित करेंगे तथा जाँच कार्य में हर अपेक्षित सहयोग करेंगे।

अनु0–यथोपरि।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के संयुक्त सचिव

18/12/18

ज्ञापांक– 5051 राँची,दिनांक– 19/12/18

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 5051 राँची,दिनांक– 19/12/18

प्रतिलिपि–श्री नितिन कुमार, राज्य समन्वयक (IT) (PMU) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय बेवसाईड पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के संयुक्त सचिव

18/12/18